

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 354]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 27, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. 12296-217-इक्कीस-अ (प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 दिसम्बर 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २८ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०२५

[दिनांक १७ दिसम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ दिसम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०२५ है.

संक्षिप्त नाम.

३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये १,३५,१०,१६,८६० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक सौ पैंतीस करोड़ दस लाख सोलह हजार आठ सौ साठ होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बावत प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए)

(आंकड़े रुपये में)

| (१) अनुदान का क्रमांक | (२) सेवाएं और प्रयोजन | (३) आधिक्य | | योग रुपये |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | पूंजीगत/राजस्व रुपये | भारित रुपये | |
| ३३. | आदिम जाति कल्याण | राजस्व | - | १०,८७,४८,३४७ |
| | | | | |
| १५. | अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | पूंजीगत | - | २२,४८,१६,००० |
| ५२. | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | पूंजीगत | - | २३,२७,३०,००० |
| ७४. | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता. | पूंजीगत | - | ७८,४४,८७,२०० |
| २३. | जल संसाधन | राजस्व | २,२४,३१३ | २,२४,३१३ |
| | | पूंजीगत | ११,००० | ११,००० |
| महायोग : | | | २,३५,३१३ | १,३५,१०,१६,८६० |

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. 12296-217-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 28 OF 2025

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 5) ACT, 2025

[Received the assent of the Governor on the 17th December, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th December, 2025.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2012 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-Sixth year of the Republic of India as follows:-

1. **This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 2025.** Short title.
2. **From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sums of Rs. One Hundred Thirty Five Crore Ten Lakh Sixteen Thousand Eight Hundred Sixty shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 2012 in excess of the amounts granted for those services and for that year.** Issue of Rs. 1,35,10,16,860 rupees out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2012.
3. **The sum deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 2012.** Appropriation.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

| (1) No. of Vote | (2) Services and purposes | (3) Excess | | | Total |
|-----------------------|---|---------------------|--------------|---------|--------------|
| | | Capital/ Revenue | Voted | Charged | |
| | | | Rs. | Rs. | Rs. |
| 33. | Tribal welfare | Revenue | 10,87,48,347 | - | 10,87,48,347 |
| 15. | Financial assistance to three-tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub-Plan | Capital | 22,48,16,000 | - | 22,48,16,000 |

| (१) | (२) | (३) | | | |
|--------------------|---|---------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Rs. | Rs. | Rs. | |
| 52. | Financial assistance to three-tier Panchayati Raj Institutions under the Tribal Area Sub-Plan | Capital | 23,27,30,000 | - | 23,27,30,000 |
| 74. | Financial assistance to three-tier Panchayati Raj Institutions. | Capital | 78,44,87,200 | - | 78,44,87,200 |
| 23. | Water resources | Revenue | - | 2,24,313 | 2,24,313 |
| 23. | Water resources | Capital | - | 11,000 | 11,000 |
| Grand Total | | | 1,35,07,81,547 | 2,35,313 | 1,35,10,16,860 |